SKU शोध संचार

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका एवं भागीदारी : एक अध्ययन

डॉ. वंदना तिवारी
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की समग्र रूप से भागीदारी एवं भूमिका रही है चाहे वह वैदिक काल की लोपमुद्रा, विस्ववारा, घोषा सिक्ता, हो या मध्यकाल की वीरांगनाओं में, रानी दुर्गावती, चालुक्य महारानी लोकमहादेवी एवं त्रलोक्य महादेवी।[1] वहीं आधुनिक काल में रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेनम्मा, ने 1857 के क्रान्ति के समय अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रमाबाई रानाडे, सरोजनी नायडु, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृतकौर लेडी फिरोज मेहता, अरूणा आसफ अली इत्यादि ने सक्रिय भूमिका निभाई।

यही नहीं 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महिला संगठनों ने वैध मताधिकार एवं सामान्य निर्वाचकों की मांग के साथ महिलाओं के आरक्षण, नामांकन को समानता के साथ भागीदारी की मांग की थी। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के समय एक बड़ी जनसंख्या के विस्थापन के वाद बहुलवादी राजनीतिक संस्कृति को प्रश्रय मिला, जिसमें संविधानवाद ने महिलाओं को कुछ लाभ प्रदान किया। उच्च वर्ग के साथ-साथ मध्यवर्ग की महिलाओं की सेवाओं एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि इस अवधि में महिला आंदोलन अपने शैशवावस्था से गुजर रहा था जिसे उस काल की सरकार वांछित योगदान नहीं दे पा रही थी, जैसे- सामान्य नागरिक संघिता का लागू न करना तथा हिन्दू कोड बिल का पारित न किया जाना। समय के साथ स्थितियों में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा जो संविधान के द्वारा प्रदान किये गये समानता, स्वतंत्रता, और शैक्षिक प्रसार के कारण दिखाई पड़ रहा था, वहीं बाल-विवाह उन्मूलन और विधवा विवाह की स्वीकृति देने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ उनकी (महिलाओं) भागीदारी एवं भूमिका में वृद्धि हो रही थी। भारत

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

में महिलाओं की स्थिति की जॉच करने के लिए बनाई गयी समिति ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को महिलासशक्तिकरण के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने राजनीतिक अधिकारों एवं महिला समानता की जांच के लिए तीन मानदंड स्थापित किये हैं।[2]

1. राजनीति में भागीदारी- महिला मतदाताओं में वृद्धि महिला उम्मीदवारों में वृद्धि।
2. राजनीतिक सक्रियता- महिलाओं में जागरूकता एवं जनसहभागिता - राजनीतिक कार्यवाही में स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता।
3. राजनीति में महिलाओं का प्रभाव- राजनीतिक भूमिका में वृद्धि- समाज में महिलाओं की नई भूमिका।

मूल शब्द

महिला सशक्तिकरण, संविधानवाद, जनसहभागिता, शैक्षिक प्रसार, राजनैतिक अधिकार एवं सक्रियता, बहुलवादी राजनीतिक संस्कृति

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सम्बन्ध में सामाजिक परम्पराओं एवं बाधाओं का पता लगाना।
2. राजनीतिक अधिकारों में महिलाओं के पिछड़े होने के कारणों की जॉच करना।
3. नगरीय एवं पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का सूक्ष्म अवलोकन एवं उनकी भागीदारी में आने वाली अवरोधों का पता लगाना।
4. राजनीतिक निर्णय- निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की स्तर का पता लगाना।
5. विषय का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रवृत्ति

इस शोधपत्र में शोध नियमों के अनुसार सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पद्धतियों के साथ-साथ विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक स्वरूपों के साथ शोध लेख में मौलिकता लाने का प्रयास किया गया है। इस कार्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों, इंटरनेट एवं शोध संस्थानों में

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

उपस्थित संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। साथ ही आयोगों के प्रकाशनों समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं के साथ राजनीतिक नेताओं के भाषण एवं घोषणापत्रों का अध्ययन भी किया गया है।

राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव से लेकर 18वें लोक सभा चुनाव तक के आंकडे सारणी के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।[3]

आम चुनाव	वर्ष	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष और महिला भागीदारी में अंतर
पहला	1952	_	_	61.2	_
दूसरा	1957	_	_	62.2	_
तीसरा	1962	62.0	46.6	55.0	15.4
चौथा	1967	66.7	55.5	61.3	11.2
पॉंचवा	1971	60.9	49.1	55.3	11.8
छठवॉं	1977	66.6	54.9	60.5	11.7
सातवॉं	1980	66.2	51.2	56.9	11.0
आठवॉं	1984	68.4	59.2	64.0	9.2
नौवा	1989	66.1	56.9	62.0	9.2
दसवॉं	1991	61.6	51.4	61.0	10.2
ग्यारहवॉं	1996	62.1	53.4	57.9	8.7
बारहवां	1998	62.1	53.4	57.9	8.7
तेरहवां	1999	64.0	55.6	60.4	8.4
चौदहवां	2004	62.15	53.54	58.07	8.5
पन्द्रहवां	2009	60.0	56.0	_	4.0
सोलहवां	2014	67.09	65.5		1.59
सत्रहवां	2019	67.01	67.18	7.07	_
अठरहवां	2024		68.4	68.49	_

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

चुनावी आंकड़ों का मूल्यांकन

कुछ आम चुनावों जैसे- 2019 के सत्रहवें आम चुनाव में कुल मतदाताओं की भागीदारी उच्चतम रही है, जबकि अन्य चुनाव में कुल मतदाताओं की भागीदारी 55 से 62 प्रतिशत के बीच रही है जिसमें महिला भागीदारी अपेक्षाकृत उतनी नहीं रही है जितनी 16वीं एवं 17वीं लोकसभा चुनाव में रही है। जहाँ 16 वीं लोक सभा चुनाव में पुरूष और महिला मतदाताओं की गत प्रतिशत में मात्र दो प्रतिशत का अंतर रहा है तो वहीं 17 वी लोकसभा चुनाव में यह अंतर कुछ प्रतिशत बिन्दुओं पर पहुँच गया है।

संसद एवं राज्य विधामण्डलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ ही लोकसभा में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है जो 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या (78) है। जो पिछले लोकसभा चुनाव में अधिक है वहीं राज्य- सभा में भी महिला सांसदों की संख्या में उत्तरोक्तर वृद्धि हुई है। 18वीं लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी जा रही है।[4]

संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण

अथक प्रयासों के पश्चात महिलाओं को एक- तिहाई आरक्षण देने वाला विधेयक 128 वां संविधान संशोधन विधेयक ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पारित किया गया, जिसे लोकसभा और राज्य सभा में भारी बहुमत प्राप्त हुआ।[5] इस विधेयक के द्वारा लोकसभा राज्यविधान सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं को अनु. जाति एवं अनु. जन. जाति की महिलाओं में आरक्षण का लाभ होगा। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद और राज्यसभा में 31 महिला सांसद है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट की जायेंगी। जैसा संसद द्वारा कानून निर्धारित किया जायेगा। वर्तमान विधेयक राज्य सभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण नहीं प्रदान करता है, इस प्रकार ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’’ ने महिलाओं की सशक्तिकरण का एक प्रतिमान स्थापित किया है।

पंचायती राज्य अधिनियमों के द्वारा महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में पहले ही कर दिया गया था। अप्रैल 1993 में 73 वॉं संशोधन लागू हुआ इसके लिए संविधान में 9 वॉं अध्याय जोडा गया तथा 11 वीं अनुसूची जोडी गयी वही 74 वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची एवं भाग 9 क जोड़ा गया इससे स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होने से लोकतंत्रात्मक ढांचा मजबूत हुआ है। किन्तु बिडंवना यह है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है लेकिन आज भी उनकी सक्रिय भूमिका नहीं हो पा रही है कारण पुरूषवादी मानसिकता, परम्परावादी सोच और अशिक्षा ने महिलाओं को पुरूषों के रबड़ की मुहर बना दिया है। साथ ही निर्माण में उनकी बराबरी के साथ सहयोग न लेने से आज भी स्थानीय निकाय ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहा हैं। इसी तरह नेतृत्व के प्रश्न पर महिलाएं वांछित परिणाम नहीं दे पा रही है क्योंकि वर्तमान राजनीतिक संस्कृति एवं परम्परावादी सोच में महिलाओं के शोषण एवं नीचा दिखाने की प्रवृत्ति ने महिलाओं को केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित कर दिया है दूसरे चुनावों में बढ़ती भ्रष्टाचार एवं चुनावी खर्चो ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से पीछे कर दिया है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण का प्रतिमान है इसी से महिला अधिकारों में वृद्धि के साथ साथ महिलाओं के लिए उचित योजनाओं, परियोजनाओं के संचालन में मदद कर उनकी आर्थिक एवं राजनीति जड़ों को समाज में सुदृढ़ बनाया है आज हमारे देश में महिलाएं तमाम राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थानों में नेतृत्व के स्तर पर पहुंच गयी है जैसे हमारे देश की सर्वोच्च पदधारी (राष्ट्रपति) महिला है तथा सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिलाएं है उच्च न्यायालयों में 107 न्यायाधीश महिलाएं हैं।[6] इस तरह देश की आधी आबादी अपनी ने अगर अपनी जिम्मेदारी उठा ली तो निर्वाचन प्रक्रिया, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं स्थानीय प्रशासन के साथ जुड़े हर संभव विकास की रूप रेखा में विविधता आ जायेगी जो नैतिकता के साथ-साथ विकास के प्रतिमानों को स्थापित करेंगी। भ्रष्टाचार में कमी आयेगी, जीवन स्तर में सुधार आयेगा, और भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जायेगा।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

सुझाव

इसके लिए महिलाओं के समाजीकरण में प्रमुखता से स्थान देना पड़ेगा संगठन एवं स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण क्षमता में समान अधिकार देना होगा। शिक्षा के साथ राजनीति व कौशल एवं सक्रिय न्यायपालिका की व्यवस्था करनी होगी निर्वाचन के समय महिलाओं की हिंसा, चरित्र हनन, भ्रष्टाचार जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। परम्परावादी दकियानूसी सोच एवं पुरूषवादी मानसिकता का त्याग करने के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहिए। जिससे निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक राजनीतिक वातावरण संवेदनशील बनें और उन अवसरों का सदुपयोग किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्राचीन भारत का इतिहास के.सी. श्रीवास्तव पृष्ठ संख्या-88 एवं 317 (ऋग्वैदिक काल)
2. डॉ. सरला गो पालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग 2002 पृ. 281
3. भारतीय निर्वाचन आयोग (विकीपीडिया)
4. हमारा संविधान, सुभाष कश्यप पृ. सं. 272
5. 20 दिसंबर 2023 दैनिक पृष्ठ संख्या 5
6. भारत की राज्य व्यवस्था, एम. लक्ष्मीकांत, स्थानीय स्वशासन पृष्ठ सं. 2